कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
अनुमंडलीय कृषि प्रक्षेत्र, बुढवा तालाब के समीप पचंबा, गिरिडीह 815316 Email:jppogrd@gmail.com

पत्रांक 319 /गिरिडीह, दिनांक 31/10/2026

प्रेषक,

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
गिरिडीह।

विषय :– विज्ञापन संख्या – 01/2026 – 27 के प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस पत्र के साथ विज्ञापन का प्रारुप की Soft copy एवं एक हार्ड कॉपी प्रकाशनार्थ आपकी सेवा में भेजी जा रही है।

कृपया इस विज्ञापन को गिरिडीह जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.giridih.nic.in में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनु0 :– soft copy (एक),
विज्ञापन – 1 (दो पृष्ट में).

विश्वासभाजन

31.10.2026

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी,
गिरिडीह।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

अनुमंडलीय कृषि क्षेत्र, बुढ़वा तालाब के समीप पवंबा, गिरिडीह 815316 Email:jppogrd@gmail.com

विज्ञापन संख्या – 01/2026 – 27

वित्तीय वर्ष – 2026 – 27 में सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या – 03 दिनांक 23.05.2026, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक – 1909 दिनांक 23.04.2026 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 1617 दिनांक – 17.03.2023 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रत्येक पौधा संरक्षण केन्द्र (Plant Protection Center) में स्वीकृत पदों कें विरूद्ध (मानदेय/पारिश्रमिक) पर पौधा संरक्षण कर्मियों हेतु फसल रक्षक (कामदार) की रिक्ति के विरूद्ध अस्थाई नियुक्ति किया जाना है।

चयन प्रकिया संबधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा विज्ञापन में निर्धारित शर्तो के अधीन होगा।

अवेदक इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत योग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन अमंत्रित किय जाते है।

1. सामान्य विवरण :–

क्र0सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
01	फसल रक्षक (कामदार)	मासिक मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	चयनित आवेदक एक वर्ष अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक – दोनों में जो पहले हो, की अवधि तक ही कार्यरत रहेंगे।	रू0 – 11851/–

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थानीयकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2. रिक्तियों का कोटिवार विवरण :–

क्र0सं0	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
01	अनारक्षित (UR)	04 (चार) पद	04
02	अनुसूचित जाति (SC)	01 (एक) पद	01
03	पिछड़ा वर्ग (BC-II)	01 (एक) पद	01

नोट :–

(i) रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

(ii) पदों का कोटिवार विवरण गिरिडीह जिला हेतु आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

3. अनिवार्य योग्यता :–

(i) मान्यता प्राप्त शैक्षिणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक (10^{th}) उत्तीण।

(ii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है।

(iii) स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है।

Scanned with OKEN Scanner

(iv) साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता होनी चाहिए।

(v) आवेदक का गिरिडीह जिला अन्तर्गत स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है एवं संबंधित प्रखण्डों के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

4. उम्र सीमा :– न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी, जो विभिन्न श्रेणियों हेतु सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित हो।

नोट :– 01. अधिक जानकारी हेतु गिरिडीह जिले के अधिकारिक वेबसाइट **www.giridih.nic.in** एवं कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय, गिरिडीह के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

02. विहित आवेदन प्रपत्र दिनांक – 02.11.2026 से दिनांक –16.11.2026 को संध्या – 05.00 बजे तक (निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा) कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन – पत्र स्वीकार नहीं किए जायेगें।

ह0/–

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह
– सह –सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय चयन समिति।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
अनुमंडलीय कृषि प्रक्षेत्र, बुढवा तालाब के समीप पचंबा, गिरिडीह 815316 Email:jppogrd@gmail.com

1. **प्रस्तावना :–**

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण संबंधी कार्यो को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से फसल रक्षक (कामदार) के पद पर मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर चयन किया जाना है। इस विज्ञापन के माध्यम से गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखण्डों में स्थित पौधा संरक्षण केंन्द्रों में कार्य करने हेतु कुल – 06 फसल रक्षक (कामदार) का चयन मानदेय/पारिश्रमिक के आधार पर किया जाएगा जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

i) पौधा संरक्षण केंन्द्र, गिरिडीह।
ii) पौधा संरक्षण केंन्द्र, जमुआ।
iii) पौधा संरक्षण केंन्द्र, बेंगाबाद।
iv) पौधा संरक्षण केंन्द्र, धनवार।
v) पौधा संरक्षण केंद्र, गावां।
vi) पौधा संरक्षण केंद्र, डुमरी।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला – स्तरीय आरक्षण तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तो के आधिन सम्पन्न होगी। आवेदक इस पिज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते है।

2. **सामान्य विवरण :–**

क्र0सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
01	फसल रक्षक (कामदार)	मासिक मानदेय/पारिश्रमिक आधारित	चयनित आवेदक एक वर्ष अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक – दोनों में जो पहले हो, की अवधि तक ही कार्यरत रहेंगे।	रू0 – 11851/–

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय/पारिश्रमिक आधारित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. **रिक्तियों का कोटिवार विवरण :–**

क्र0सं0	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
01	अनारक्षित (UR)	04 (चार) पद	04
02	(अनुसूचित जाति) SC	01 (एक) पद	01
03	(पिछड़ा वर्ग) BC-II	01 (एक) पद	01

नोट :–

1. रिक्तियों की संख्या कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आवश्यकतानुसार एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
2. पदों का कोटिवार विवरण गिरिडीह जिला हेतु लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

Scanned with OKEN Scanner

4. **अनिवार्य योग्यता** :–

i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/माध्यमिक **(10th)** उत्तीर्ण।

ii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को तद्नुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

iii) स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है। (खोरठा एवं संथाली)

iv) साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में दक्षता होनी है।

v) गिरिडीह जिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है एवं संबधित प्रखण्डों के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

5 – **फसल रक्षक का कार्य** :– फसल सर्वेक्षण, कीटनाशकों का छिड़काव, कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ कार्यालय द्वारा समय – समय पर आवंटित अन्य कार्य।

6 – **आयु सीमा** :– (दिनांक–01.01.2026 के आधार पर)

(क) न्यनतम उम्र सीमा – 18 वर्ष

(ख) अधिकतम उम्र सीमा – (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या – 29, दिनांक – 04.01.2021 द्वारा यथा निर्धारित)।

क्र0सं0	कोटी	आयु
1	अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	35 वर्ष
2	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु0 – 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनु0 – 2)[पुरूष]	37 वर्ष
3	महिला[अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2)]	38 वर्ष
4	अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष

i) मैट्रिक अंक पत्र/प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

ii) न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो विभिन्न श्रेणियों हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित हो।

7 – **चयन प्रक्रिया एवं अंक विभाजन** :–

i) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

ii) ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलबध नहीं है, आवश्यक प्रमाण – पत्र संलग्न नहीं है, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती है, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। केवल वैध एवं पात्र आवेदक का चयन हेतु अग्रेतर मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल 100 अंको के आधार पर किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

iii) अंको का विवरण निम्नवतः है:–

क्र० सं०	चयन घटक	मेधा सूची हेतु योग्यता विवरण	अधिकतम अंक
1	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अंक पत्र में दर्ज प्रतिशत	10वीं का % × 0.6 = अधिकतम 60 अंक
2	प्रशिक्षण	न्यूनतम एक 05 दिवसीय प्रशिक्षण – 01 प्रमाण पत्र आवश्यक। X = प्रशिक्षण के दिनों की संख्या	01(पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र हेतु 05 अंक) x= 5 —› 05 अंक
			02(पाँच दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण – पत्र हेतु = 20 अंक) (केवल एक ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होगा) 5 < x < 25 —› x अंक x > 25 —› 25 अंक
3		(साईकिल चलाना एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना चाहिए)	Qualifying होगा
4		साक्षात्कार (सामान्य हिन्दी/सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा संबंधी ज्ञान)	15 अंक
		कुल अंक	100 (एक सौ) अंक

नोटः– मेधा सूची निर्धारण में पाँच दिवसीय से कम के प्रशिक्षण की गणना नहीं की जायेगी।

8. चयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु :–

i) CGPA/ ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित CONVERSION FORMULA के अनुसार प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा।

ii) एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेगें।

iii) प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण – पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के अधार पर की जायेगी।

iv) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अतंर्गत संचालित कार्यालय द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

v) **साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की क्षतमा/दक्षता** :– फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए आवेदकों को साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम/दक्ष होना आवश्यक होगा।

vi) अंतिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित आवेदकों के मूल प्रमाण – पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

vii) चरित्र प्रमाण – पत्र अंतिम रूप से चयनित औपबंधिक रूप से चयनित आवेदकों द्वारा योगदान के समय अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

viii) आवेदकों को आवेदन – पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित (Self Attested copy) छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

1. मैट्रिक/10 वीं उर्तीण का प्रमाण–पत्र एवं अंक – पत्र।
2. न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण – पत्र।
3. 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण – पत्र (यदि लागू हो तो)।
4. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैद्य स्थानीय निवासी प्रमाण – पत्र।
5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैद्य जाति प्रमाण – पत्र, जहाँ लागू हो।
6. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक/10 वीं उर्तीण का प्रमाण – पत्र आवश्यक है।
7. आधार कार्ड की छायाप्रति ।

नोट :– आवेदन – पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण – पत्रों की स्व – अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण – पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

9. मेधा सूची एवं समान अंक होने पर प्राथमिकता निर्धारण (Tie&Breaking) :–

i) मैट्रिक में अधिक अंक/प्रतिशत।

ii) अधिक आयु/उम्र।

Scanned with OKEN Scanner

10. चयन एवं योगदान :–

कोटिवार मेघा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित आवेदकों की सूची निर्धारित स्थल पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल सक्षम प्राधिकार (कनीय पौध संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह) द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन/अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

11. स्थानीय निवासी एवं आरक्षण :–

आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दवा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(I) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय प्रमाण पत्र :–

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक–02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–I** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–5752, दिनांक–19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक–19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण – पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–II** पर धारित है।

(ख) दिनांक 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण – पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक–02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण – पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण – पत्र मान्य नहीं होगा।

(ड़) सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैद्य स्थानीय निवासी प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. जाति प्रमाण – पत्र

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–2669, दिनांक–10.05.2023 द्वारा यथा संशोधित मानक प्रपत्र में दिनांक 10.05.2023 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण – पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–III** पर धारित है।

अथवा

दिनांक 25.02.2019 से पूर्व निर्गत झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सन्दर्भ में जिला/ अनुमण्डल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण – पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–IV** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक–25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् तथा दिनांक 10.05.2023 से पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण – पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–V** पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के सन्दर्भ में दिनांक–29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात् उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–VI** पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्व–घोषण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–VII** पर धारित है।

अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 के आलोक में दिनांक 25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र **परिशिष्ट–VIII** पर धारित है।

Scanned with OKEN Scanner

(ग) दिनांक– 25.02.2019 के अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा।

(ड़) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(च) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–235,, दिनांक–10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(छ) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II), के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते है, उनके द्वारा विवरणित में निर्धारित विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/स्व–घोषण समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित के लिए निर्धारित शर्तो के अधीन ही होगा। आरक्षण का दावा करने वाले अवेदकों को संबंधित जाति / कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैध प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :–

(I) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के **परिशिष्ट–I** से **परिशिष्ट–VIII,** पर अंकित प्रपत्र में भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र सामान्यतः मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगे।

(II) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के अभ्यर्थी द्वारा वैधता समाप्त जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने की स्थिति में विवरणिका में अंकित गैर क्रिमी लेयर स्व–घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। वांछित घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पर समिती द्वारा उक्त प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(III) स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र में अंकित आवदेक/आवेदक के पिता/पति के नाम एवं नाम की वर्त्तनी **(spelling)** मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में दर्ज वर्त्तनी **(spelling)** से भिन्न नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(IV) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

13. सामान्य शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण – पत्रों की स्व – अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण – पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
2. चयन प्रकिया सक्षम प्राधिकार (कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह) द्वारा गठित चयन समिति की देख–रेख में सम्पन्न होगी।
3. किसी भी चरण पर आवेदक की पात्रता एवं प्रमाण – पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती है।
4. गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण – पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी सविदा समाप्त की जा सकती है एवं आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
5. चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति का स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
6. नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती है।
7. सक्षम प्राधिकार (कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह) को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या, कार्यस्थल (पौधा संरक्षण केन्द्र/उपकेन्द्र) आवटन अथवा चयन प्रक्रिया के किसी चरण में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. सक्षम प्राधिकार को अपरिहार्य/प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. ऐसे परिवर्तन अथवा रद्दिकरण के आधार पर किसी आवेदक को नियुक्ति अथवा क्षतिपूर्ति का दावा नहीं होगा।
10. आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

Scanned with OKEN Scanner

11. चयन/परीक्षा/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकारिक वेबसाइट **www.giridih.nic.in** में प्रकाशित की जाएगी।
12. आवेदक निर्धारित समय पर प्रकाशित सूचनाओं का आवलोकन करते रहें।
13. फसल रक्षक को विभाग/सक्षम प्राधिकार द्वारा समय – समय पर सौंपे गए कार्यों का पालन करना होगा।
14. विहित आवेदन प्रपत्र दिनांक – 02.11.2026 से दिनांक –16.11.2026 को संध्या – 05.00 बजे तक (निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा) कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन – पत्र स्वीकार नहीं किए जायेगें।

14. आवेदन जमा करने का पता :–

1. आवेदक पूर्ण रूप से भरा आवेदन – पत्र हाथो – हाथ कार्यालय अवधि पूर्वाह्न 10:00 से संध्या 5:00 बजे तक कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी गिरिडीह, अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र पचंबा गिरिडीह में जमा कर सकते है।

(निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा)

पता :– कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी गिरिडीह, अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र पचंबा गिरिडीह।
पोस्ट :– गिरिडीह, जिला :– गिरिडीह, पिन0न0 :– 815316

ह0/–

कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह
– सह –सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय चयन समिति।

Scanned with OKEN Scanner

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

गिरिडीह जिला अंतर्गत फसल रक्षक (कामदार) के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु आवेदन–पत्र

विज्ञापन संख्या – /2026–27

आवेदित पद का नाम :–.....

निर्देश – आवेदक आवेदन – पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरें तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण – पत्रों की स्व – अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें –

नवीनतम स्व–अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाये

*1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी बड़े अक्षरो में).....

3. पिता/पति/का नाम .....

*4. लिंग (का निशान करें) (पुरूष ☐) (महिला ☐) (अन्य ☐)

*5. जन्म तिथि, .../...../.....

6. आयु (दि – 01.01.2026 के आधार पर) वर्ष –.....माह..... दिन.....

7. आरक्षण कोटि–सामान्य..... अत्यंत पिछड़ा वर्ग..... पिछड़ा वर्ग.....

अनुसूचित जाति..... अनुसूचित जनजाति..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग.....

8. राष्ट्रीयता.....

9. क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे है (√ का निशान करें) (हाँ ☐ /नहीं ☐)

*10. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के अनुसार जिला का नाम.....

*11. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रखण्ड का नाम.....

12. क्या स्थानीय भाषा (खोरठा एवं संथाली) संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न है, यदि हो तो (हाँ / नहीं)
यदि हाँ, प्रमाण–पत्र का विवरण.....

13. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें) –

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल प्राप्तांक का प्रतिशत
मैट्रिक (10वी उर्तीण)			

नोट :– CGPA/ग्रेड होने की स्थिति में संबधित बोर्ड द्वारा निर्धारित Conversion formula के अनुसार प्रतिशत अंकित करें।

Scanned with OKEN Scanner

*14. प्रशिक्षण का विवरण :–
क्या कृषि एवं उद्यान निदेशालय / विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम 05 दिवसीय/05 दिवसीय से अधिक अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त है?
(√ का निशान करें) (हॉ ☐) (नहीं ☐)

क्र० सं०	प्रशिक्षण का विवरण	अवधि (पूर्ण दिवस)	प्रशिक्षण संस्था	प्रमाण – पत्र संख्या /दिनांक
1	अनिवार्य प्रशिक्षण (05 पाँच दिवसीय)			
2	प्रशिक्षण (05 पाँच दिवसीय से अधिक अवधि)			
3	अन्य प्रशिक्षण यदि कोई हो			

15. अन्य आवश्यक जानकारी :–

*16. क्या आप साईकिल चलाने में सक्षम है (√ का निशान करें) – हॉ ☐ नहीं ☐

*17. क्या आप पेड़ पर चढ़ने में सक्षम है (√ का निशान करें) – हॉ ☐ नहीं ☐

18. आवेदक का आधार संख्या.....

19. आवेदक का मोबाईल संख्या.....

20. ई मेल (यदि उपलब्ध हो).....

21. आवेदक का स्थायी पता.....

.....

22. आवेदक का पत्राचार का पता.....

.....

क्र0सं	संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व–अभिप्रमाणि छायाप्रति संलग्न) –		
1.	मैट्रिक/10वीं उर्तीण प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।	6	न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।
2	सक्षम स्तर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।	7	05(पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।
3	सक्षम स्तर निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।		
4	आधार कार्ड की छायाप्रति ।		
5	अन्य, यदि कोई हो.....		

नोट :– चरित्र/आचरण प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है। परन्तु अंतिम चयन/दस्तावेज सत्यापन / योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

*:– अनिवार्य

Scanned with OKEN Scanner

23. घोषणा :–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र / दस्तावेज वास्तविक एवं वैध है। यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पाई जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र फर्जी / आमान्य पाया जाता है तो मेरी अभ्यर्थिता / चयन / संविदा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार समाप्त की जा सकती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि न तो मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक वाद लम्बित है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है और न ही किसी नैतिक दुराचार से संबंधित किसी वाद में संलिप्त या संबंधित हूँ।

मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी शर्तें एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया प्रावधानों एवं शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थान –.....

दिनांकः–.....

आवेदक का नाम :–.....

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– आवेदन सभी वांछित दस्तावेजों कि प्रति समेत लिफाफा (12 X 9 इंच/A4 साईज) में बंद करके स्पीड!निबंधित पोस्ट/अथवा स्वयं हाथों–हाथ **"कार्यालय कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी, गिरिडीह, अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र पचंबा गिरिडीह" पर दिनांक – 16.11.2026 शाम 5:00 बजें तक प्राप्त होना चाहिए।**

लिफाफा पर "मानदेय/परिश्रमिक आधारित फसल रक्षक (कामदार) हेतु आवेदन" एवं प्रखण्ड का नाम, आवेदक का नाम तथा पता अवश्य लिखेंगे।

Scanned with OKEN Scanner